

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल
क. / बोर्ड / यो. गै. तक. / 77 / 2018-19 / 876 भोपाल, दिनांक २१ / ०५ / २०१८

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति (समर्त)
जिला (म.प्र.)

विषय :- मंडी प्रांगण में कृषकों की भांति हम्माल एवं तुलावटियों को भोजन उपलब्ध कराने बाबत्।

-000-

मंडी प्रांगण में कृषि उपज के विक्रय के लिये आने वाले कृषकों को 5/- रुपये प्रति थाली भोजन मंडी प्रांगण में उपलब्ध कराये जाने की योजना कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मंडी / प्रांगण / विविध / केन्टीन / 45 / 48 / 3956 दिनांक 30.12.08 से लागू है जिसमें आंशिक संशोधन किया जाकर प्रदेश की मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञाप्तिधारी (क्रियाशील) हम्माल एवं तुलावटियों को भी 5/- रुपये प्रति थाली भोजन मंडी प्रांगण में उपलब्ध कराया जावेगा। मण्डी समिति द्वारा भोजन कूपन जारी किये जायेंगे, एक कूपन पर एक ही हम्माल / जावेगा। मण्डी समिति द्वारा भोजन कूपन जारी किये जायेंगे, एक कूपन पर एक ही हम्माल / जावेगा। योजनान्तर्गत उसी हम्माल / तुलावटी को कूपन जारी किया जावेगा जो उस दिन मण्डी प्रांगण में कार्यरत है।

उक्त योजना पत्र जारी दिनांक से प्रभावशील होगी। योजना की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

प्रबंध संचालक - सह - आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड -
भोपाल

भोपाल, दिनांक २१ / ०५ / २०१८

क. / बोर्ड / यो. गै. तक. / 77 / 2018-19 / 877

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
3. अपर संचालक(समर्त) / प्रमुख अभियन्ता, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
4. संयुक्त संचालक / उपसंचालक (समर्त) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
5. संयुक्त संचालक / उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, (समर्त)(म.प्र.), तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

प्रबंध संचालक - सह - आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड -
भोपाल